

## सांसदों की आय उद्घोषणा से संबंधित नज्जी वधियक

### चर्चा में क्यों?

- एक नए नज्जी वधियक में प्रस्ताव किया गया है कि सांसदों को अपने कार्यकाल के समापन पर अपनी संपत्तिकी घोषणा अवश्य करनी चाहिये, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- यह वधियक अरुणाचल पूर्व (Arunachal East) से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ननिंग एरगि, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेंगे।

### वधियक में क्या?

- ननिंग एरगि द्वारा प्रस्तावित जनप्रतनिधित्व अधिनियम (संशोधन) वधियक, 2017 जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- नज्जी बलि में प्रस्ताव है कि कार्यकाल खत्म होने के 90 दिनों के भीतर सांसद अपनी संपत्तिकी घोषणा अनिवार्य रूप से करें और इसके लिये जनप्रतनिधित्व कानून, 1951 में उपधारा 75बी(1) शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।
- अभी तक संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिये शपथ ग्रहण के 90 दिनों के अंदर अपनी संपत्ति एवं देनदारियों की घोषणा करना अनिवार्य है। वर्तमान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे सांसद कार्यकाल की समाप्ति पर अपनी संपत्तिकी घोषणा करने के लिये बाध्य हों।

### क्यों महत्त्वपूर्ण है यह प्रयास?

- वदिति हो कि मूल कानून में प्रस्तावित इस संशोधन से जनप्रतनिधियों में शीर्ष सत्र पर जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी और सांसदों की छविसाफ-सुथरी बनाने में भी मदद मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि यह नज्जी वधियक ऐसे समय चर्चा में आया है, जब कई सांसद और वधियकों की संपत्ति में अप्रत्याशित बढोतरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में वचिराधीन है।